दिनांक	आदेशिका	
05.03.2021	प्रार्थी नगर परिषद सिरोही के अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेड़तिया उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। दौराने बहस क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई कि धारा 327 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत जिला कलेक्टर के अधिकार राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक/प.8(क)( )नियम डीएलबी/8226 दिनांक 31.03.2010 द्वारा जिला कलक्टर से वापिस ले लिए गए है। अतः इस निगरानी को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के पृष्ठ संख्या 186 का अवलोकन किया गया एवं आदेश 7 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधानों एवं न्यायालय की लाईब्रेरी में उपलब्ध विधिक दृष्टान्त A.I.R. 1987 S.C. 1947 A.I.R. 1959 Manipur9 A.I.R. 1973 Him.Pra.25 A.I.R. 1972 Guj.280 A.I.R. 1972 J&K 1(F.B.) A.I.R. 1989 Ker.28 A.I.R. 1962 Guj.296 के विधिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया एवं इन विधिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक पालना करने हेतु यह न्यायालय बाध्य है। चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में क्षेत्राधिकार के भिनाय पर किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में इस निगरानी प्रार्थना पत्र को राज्य सरकार की अधिसूचना 31.03.2010 के तहत सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से मूल निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रार्थी अधिवक्ता को लौटाए जाने के आदेश दिए जाते है एवं आयुक्त नगरपरिषद सिरोही को निर्देश दिए जाते है कि एक माह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की [illegible] करें। निगरानी प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति [illegible] बतौर अभिलेख रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो [illegible] नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.10.15 12:10:09 IST Reason: SelfAttested (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर,सिरोही	

Scanned with CamScanner